समाहरणालय, दरभंगा
प्राप्ति सं० 2069
दिनांक 19/02/14
कार्यालय

संचिका सं0:-3ए-9-विविध-31/2013-1625-वि0

स्थापना शाखा
प्राप्ति सं० 603
तिथि 25/02/14

बिहार सरकार
वित्त विभाग ।

प्रेषक,

प्रभात शंकर,
अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

पटना, दिनांकः-17/02/2014

विषयः- **राजस्व कर्मचारियों को ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0एस0 के तहत अनुमान्य वित्तीय उन्नयन के वेतनमान के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभागीय पत्रांक 7725, दिनांक 09/09/2008 के द्वारा राजस्व कर्मचारियों को प्रोन्नति की अर्हता धारण करने पर प्रथम वित्तीय उन्नयन 5000-8000/- एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन 6500-10500/- तथा अर्हता धारण नही करने की स्थिति में प्रथम वित्तीय उन्नयन 3200-4900/- तथा द्वितीय उन्नयन 4000-6000/- में अनुमान्य होने का निर्णय संसूचित किया गया था ।

2. वर्तमान में दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण हो जाने के उपरांत उपर्युक्त अपुनरीक्षित वेतनमानों का पुनरीक्षित वेतनमान एवं एम0ए0सी0पी0एस0, 2010 के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन के अनुमान्य वेतनमान के संबंध में निर्णय सूचित करने की अपेक्षा की जा रही है ।

3. इस संबंध में कहना है कि वैसे राजस्व कर्मचारी जो अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगों के पद पर प्रोन्नति हेतु अपेक्षित योग्यता रखते हों और ए0सी0पी0 नियमावली, 2003 के प्रावधानों के आलोक में दिनांक 01/01/2006 के पूर्व द्वितीय वित्तीय उन्नयन 6500-10500/- में प्राप्त हुआ हो उनका दिनांक 01/01/2006 से मूल कोटि में वेतन पुनरीक्षण कर दिनांक 01/01/2009 से पी0बी0-2+4800/- का वास्तविक लाभ देय होगा । पुनः यदि दिनांक 01/01/2009 से तृतीय रूपांतरिक वित्तीय उन्नयन देय हो तो पी0बी0-2+5400/- में स्वीकृत किया जायेगा । इसके विपरीत जो राजस्व कर्मचारी प्रोन्नति की योग्यता नही रखते हों और उन्हें द्वितीय वित्तीय उन्नयन 4000-6000/- में प्राप्त हुआ हो, उनका वेतन पुनरीक्षण पी0बी0-1+2400/- में किया जाएगा और तृतीय वित्तीय उन्नयन दिनांक 01/01/2009 या बाद की देय तिथि से पी0बी0-1+2800/- में देय होगा ।

4. लिपिक एवं चतुर्थवर्गीय कर्मियों के संबंध में निर्गत पत्र सं0 7099, दिनांक 01/08/2011 एवं 8594, दिनांक 17/08/2012 के द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण मूल कोटि के वेतनमान में एवं अनुमान्य लाभ दिनांक 01/01/2009 की तिथि से दिया जा सकेगा । यह प्रावधान सभी श्रेणी के राज्य कर्मियों/पदाधिकारियों पर प्रभावी है ।

विश्वासभाजन
ह0/-
(प्रभात शंकर)
अपर सचिव, वित्त विभाग ।

AKS/RK